न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 22/2025

बउनवान

चन्द्रमोहन पुत्र श्री दौलतराम आयु 55 वर्ष जाति मीणा, निवासी जारेला, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0 (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

उपस्थिति :– 1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 12.12.2025

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 13.03.2024 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–22 राज0 उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम बमोरीकलां तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1800 रकबा 0.64 है., पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दिनांक 13.03.2024 को निर्णय पारित कर 768/–रूपये शास्ति आरोपित कर एक माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने के उपरांत अपना जवाब प्रस्तुत किया था कि उक्त मामला माननीय राज0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की प्रति पेश कर उच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम होना अंकित किया था। उक्त आराजीयात अपीलांट के पिता को आवंटित हुई थी तथा मौके पर जाकर हल्का पटवारी द्वारा कब्जा संभलाया था जिसका दखलनामा व आवंटन की प्रति न्यायालय में पेश की थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों पर कोई गौर नही कर गैर कानूनी रूप से पटवारी द्वारा छलपूर्वक अपीलांट को बेदखली के दस्तावेज पर धोखे से हस्ताक्षर करवाकर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.03.2024 निरस्त किया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.28 12:20:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

...संभलाया था जिसका दखल नामा व आवंटन की प्रति न्यायालय

मे प्रस्तुत की थी किन्त अधिनस्थ न्यायालय ने...

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी से संबंधित प्रकरण माननीय राजस्थाान उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। विवादित आराजी अपीलांट के पिता की आवंटनशुदा आराजी है जिस पर नियमानुसार पटवारी हल्का द्वारा दखल दिया गया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मिथ्या तथ्यों के आधार पर यह कार्यवाही की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.03.2024 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये कथन किया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में विवादित आराजी की किस्म चारागाह दर्ज है जिस पर अपीलांट बहैसियत अतिक्रमी काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2079 फसल रबी में भी उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 378/23 निर्णय दिनांक 27.02.2023 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। विवादित आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1800 रकबा 0.64 है0 किस्म चारागाह ग्राम बमोरीकलां पर सम्वत् 2079 फसल रबी में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 378/23 में पारित निर्णय दिनांक 27.02.2023 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 54/2024 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2026.01.28 12:20:41 IST
Reason: SelfAttested

था जिसका दखल नामा व आवंटन की प्रति न्यायालय
मे प्रस्तुत की थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने